"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 127] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 अप्रैल 2013—चैत्र 11, शक 1935

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-05/2011/समन्वय/चौबीस.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में कार्यरत संचार प्रतिनिधियों को "छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना" के माध्यम से बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कार्यपालक शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा नियम, 2013 कहलाएंगे.

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

   (3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "बीमा अनुबंध" से अभिप्रेत है वह अनुबंध, जो बीमित व्यक्ति को उसकी मृत्यु/स्थायी अशक्तता/अशक्तता की दशा में, निर्धारित अवधि के लिये सुविधायें प्रदान करने के लिए किया गया है;

   (ख) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़;

(ग) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़;

(घ) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी निजी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, टेलीविजन, न्यूज चैनल इत्यादि द्वारा नियोजित संचार प्रतिनिधि (पत्रकार/संवाददाता/फोटोग्राफर/कैमरामैन).

3. **लागू होना.**— ये नियम समस्त मीडिया पर्सन, जो छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत तथा कार्यरत हों, पर लागू होंगे.

4. (क) **बीमे की राशि.**—

(एक) संचार प्रतिनिधि के दुर्घटना बीमा हेतु बीमित राशि पांच लाख रुपये होगी. बीमित संचार-प्रतिनिधि या उसके नियोक्ता को वार्षिक प्रीमियम का 25 प्रतिशत चेक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से "संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़" के कार्यालय में सूचित तिथि तक या उसके पूर्व जमा करना होगा. वार्षिक प्रीमियम की शेष 75 प्रतिशत राशि जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा जमा कराई जाएगी.

(दो) संचालक, जनसंपर्क द्वारा प्राप्त राशि के जमा एवं भुगतान हेतु उसके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने पदनाम से एक बचत खाता खोला जाएगा तथा उसमें जमा होने वाली एवं भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण उसके द्वारा अपने कार्यालय में पृथक से कैश बुक में संधारित किया जायेगा.

(तीन) संचालक, जनसम्पर्क द्वारा जमा हुई कुल राशि का भुगतान बीमा कंपनी को चेक/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा.

(ख) **बीमे की अवधि.**— बीमा पॉलिसी की अवधि इसके प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की होगी. एक बार इस अवधि के पूर्ण होने के उपरांत संचार प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को पुनः बीमा पॉलिसी की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु सभी वांछनीय औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी.

(ग) **बीमे की प्रभावशीलता.**— संचार-प्रतिनिधि या उसके नियोजक द्वारा मात्र राशि जमा करने का अर्थ यह नहीं होगा कि वह बीमे के लाभ हेतु पात्र है. जनसंपर्क संचालनालय द्वारा आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करने के पश्चात् बीमा कंपनी द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर की तारीख से बीमा पॉलिसी प्रभावशील होगी.

(घ) **बीमे की पात्रता.**— छत्तीसगढ़ के समस्त संचार प्रतिनिधि, जिनकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच हो, छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा नियम, 2013 के अधीन सदस्यता के लिये पात्र होंगे.

(ङ) **नामांकन.**— बीमित संचार प्रतिनिधि को बीमा कम्पनी से बीमित राशि प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र में एक व्यक्ति को नॉमिनी घोषित करना होगा.

(च) **दुर्घटना की सूचना.**— बीमित संचार प्रतिनिधि/नॉमिनी द्वारा दुर्घटना के बारे में सूचना, दुर्घटना होने की तारीख से 15 दिनों के अंदर बीमा कंपनी तथा जनसंपर्क संचालनालय के जिला कार्यालय में देनी होगी.

(छ) दावा.—बीमित संचार प्रतिनिधि की मृत्यु की दशा में, उसके नॉमिनी अथवा स्थायी अशक्तता/अपंगता की दशा में स्वयं बीमाधारक को—

(1) निर्धारित प्रपत्र में सूचना,
(2) पुलिस थाने में दर्ज करायी गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) की प्रति,
(3) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो),
(4) मृत्यु प्रमाण-पत्र, तथा
(5) नामांकन का दस्तावेज (प्रमाण-पत्र), बीमा कंपनी के कार्यालय में तथा उसकी दूसरी प्रति जनसंपर्क कार्यालय में तीस दिनों की कालावधि के अंदर जमा करनी होगी.

5. अर्हताएं.— छत्तीसगढ़ के संचार प्रतिनिधि को, इन नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की सदस्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा :—

(क) बीमा योजना की सुविधाओं की वांछना रखने वाले अभ्यर्थी को, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा.

(ख) उस संस्थान का नियुक्ति पत्र, जहां अभ्यर्थी पूर्णकालिक/अंशकालिक संचार प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है तथा संस्थान से प्राप्त प्रमाण-पत्र में यह उल्लिखित होना चाहिए कि अभ्यर्थी वहां कम से कम पिछले एक वर्ष से नियमित रूप से कार्यरत है तथा उसने नियमित रूप से वेतन आहरित किया है.

(ग) राज्य से प्रकाशित, दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र का आर.एन.आई. का प्रमाण पत्र हो.

(घ) राज्य के बाहर से प्रकाशित, दैनिक समाचार पत्र के लिए आर.एन.आई. द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित एक लाख या उससे अधिक कुल प्रसार संख्या हो तथा राज्य में उसकी प्रसार संख्या न्यूनतम 10 हजार हो.

(ङ) दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्रों, टेलीविजन न्यूज चैनलों का नियमित प्रकाशन/प्रसारण होता हो.

(च) फीचर/समाचार अभिकरणों के लिये, 25 हजार प्रतियां या उससे अधिक प्रसार संख्या वाले न्यूनतम 10 दैनिक समाचार पत्रों के सशुल्क ग्राहक होने का प्रमाण पत्र हो.

6. छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक संचार प्रतिनिधि/संवाददाता को समस्त वांछित अर्हताओं के प्रमाण-पत्र सहित आवेदन प्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाए, उनके नियोक्ता के माध्यम से जनसम्पर्क संचालनालय को सूचित तारीख के अंदर प्रस्तुत करना होगा.

7. इस बीमा योजना की सदस्यता प्रदान करने के लिए कार्यवाही, जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा वर्ष में एक बार की जायेगी.

8. बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कम्पनी से अनुबंध करने के समस्त अधिकार आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क को होंगे.

9. राज्य सरकार इन नियमों में कोई भी आवश्यक परिवर्तन करने के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 04-05/2011/समन्वय/चौबीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 04-05/2011/समन्वय/चौबीस, दिनांक 01-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, सचिव.

Naya Raipur, the 1st April 2013

NOTIFICATION

No. F 04-05/2011/Co-ordination/24.—The Government of Chhattisgarh has decided to provide insurance cover to communication representatives working in the State by way of "Chhattisgarh Media Person Personal Accident Insurance Scheme". For the implementation of the said scheme, the State Government, hereby, in exercise of the

executive powers conferred by the Constitution of India, makes the following rules, namely :—

RULES

1. **Short title, extent and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Media Person Personal Accident Insurance Scheme Rules, 2013.

   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—
   (a) "Contract of Insurance" means a contract which has been made to provide benefit to the insured person for a particular period, in case of his/her death/permanent disability/disability;

   (b) "Commissioner" means the Commissioner, Directorate of Public Relations, Chhattisgarh;

   (c) "Director" means the Director, Directorate of Public Relations, Chhattisgarh.

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "Representative" means a media-person (journalist/correspondent/photographer/cameraman) residing in the State of Chhattisgarh and employed by any private newspaper, news agency, television news channel etc. working in the State of Chhattisgarh.

3. **Applicability.**— These rules shall be applicable to all media-persons who are residing and working in the State of Chhattisgarh.

4. (a) **Insured Sum.—**
   (i) The sum insured for accident insurance of the media-person shall be Rs. 5 lakhs. The insured media-person or his/her employer shall have to duly deposit 25 percent of the annual premium, specified from time to time, through cheque/bankers cheque/demand draft in favour of the "Director, Directorate of Public Relations Chhattisgarh" in his office, on or before the announced date. The remaining 75 percent amount of the annual premium shall be deposited by the Directorate of Public Relations.

   (ii) For the deposit and payment of the amount received by the Director, Public Relations (DPR) a saving account shall be opened by him in the name of his designation in a nationalized bank and the details of the deposit and payment of the amount shall be maintained by him in a separate cash book in his office.

   (iii) Director, Public Relations shall pay the total received amount to the insurance company through cheque/bankers cheque/demand draft.

   (b) **Period of Insurance.**—The period of insurance policy shall be one year from the date of its commencement. Once this period of one year is over, media-person (s) shall have to complete all desired formalities again to avail benefits of insurance policy.

   (c) **Effectiveness of Insurance.**—Merely depositing the amount by the media-person or his/her employer shall not mean that he/she is entitled for insurance benefits. The insurance policy shall be effective from the date of signing of the contract by the insurance company, after the Directorate of Public Relations completes the necessary formalities.

   (d) **Eligibility for Insurance.**—All the media-persons of Chhattisgarh, aged between 21 to 65 years, shall be eligible to get the membership under the Chhattisgarh Media Person Personal Accident Insurance Rules, 2013.

   (e) **Nomination.**—The insured media-person shall have to declare a person as nominee in the application for receiving the sum insured from the insurance company.

(g) **Information of accident.**— The insured media-person/nominee shall have to inform about the accident within 15 days from the date of accident to the district office of the insurance company and the Directorate of Public Relations.

(f) **Claim.**— In case of death of the insured media-person, his/her nominee or in case of permanent disability/disability the insured person shall have to submit—

(1) information in the prescribed format,
(2) copy of the FIR, registered at the police station,
(3) post-mortem report or the certificate issued by the medical board (if required),
(4) death certificate, and
(5) document of nomination (certificate); at the office of insurance company, and another copy of the same at the Direcorate of Public Relations, within a period of thirty days.

5. **Qualifications.**— A media-person shall have to fulfill the following requirements for getting the membership of the Chhattisgarh Media Persons Personal Accident Insurance Scheme provided under these rules :—

(a) A candidate seeking benefits of insurance scheme must have passed Higher Secondary Examination.

(b) Appointment letter of the organization, where the candidate is working as a full time/Part time media-person, and a certificate from the organization mentioning that the Candidate has been working regularly for the last one year at least, and has drawn regular salary.

(c) RNI certificate of the daily/weekly newspaper, published from the State.

(d) For the daily newspaper, published from outside the State, its total circulation must be 1 lakh or above, having a minimum 10,000 circulation in the State, duly certified by the RNI.

(e) The daily/weekly newspapers, television news channels must be published/telecast regularly.

(f) For the feature/news agencies, they must have the certificate from at least 10 daily newspapers having circulation of 25,000 copies or above, as their paid customers.

6. The media-persons/correspondents seeking to get the memebership of the Chhattisgarh Media Persons Personal Accident Insurance Scheme shall have to submit their application in format as may be prescribed, through their employer, along with certificates of all the desired qualifications, to the Directorate Public Relations, within the date, announced for the same.

7. The process for giving membership of this insurance scheme shall be done by the Directorate of Public Relations once in a year.

8. The Commissioner/Director of Public Relations shall have all the rights to enter into a contract with the insurance company for insurance policy.

9. The State Government shall be the Competent Authority for the purpose of making any necessary change in these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.